श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी–4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110016

क्रमांकः एफ–21(3)ला.ब.शा.रा.सं.वि. / हि.रा.भा. / 2021–22 / 513

दिनांक 18.07.2024

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार 14 व 15 सितम्बर 2024 को नई दिल्ली स्थित "भारत मंडपम" में दो दिवसीय हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी करेंगे। इस सम्मेलन में मुख्य सत्र के अलावा हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों पर कई समानांतर शैक्षिक सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इस महत्वपूर्ण सम्मेलन हेतु तत्काल एक प्रतीक चिह्न (Logo) डिजाइन किया जाना है जिसके लिए अल्प समय में एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें आपकी भागीदारी अपेक्षित है। इस प्रतीक चिह्न (Logo) के निर्माण में राजभाषा, हिंदी दिवस, आजादी के अमृत काल की महत्ता, सम्मेलन का स्थल दिल्ली एवं आयोजन स्थल भारत मंडपम की पृष्ठभूमि आदि को रखा जाना समीचीन होगा।

चयन समिति द्वारा चुने गए सर्वश्रेष्ठ **प्रतीक चिह्न (Logo)** का प्रयोग दिनांक 14-15 सितम्बर 2024 को आयोजित होने वाले राजभाषा सम्मेलन में किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रथम 3 प्रतीक चिह्न (Logo) को राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कार दिए जा सकते है। साथ ही प्रतियोगिता के पांच सर्वश्रेष्ठ **प्रतीक चिह्न (Logo)** प्रतिभागियों को राजभाषा विभाग की ओर से प्रमाण–पत्र दिए जाएंगे।

अतः सभी इच्छुक अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से **अनुरोध है कि प्रतीक चिह्न (Logo) का नमूना (JPG/PDF) तैयार करके दिनांक 22.07.2024, सांय 05 बजे तक श्रीमती वन्दना, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन–।) को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि ये दिनांक 26.07.2024 तक मंत्रालय भिजवाए जा सकें। हस्तनिर्मित प्रतीक चिह्न (Logo) अस्वीकार्य होगा।**

यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृतिनुसार जारी किया जा रहा है।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन–।)

प्रतिलिपिः–
1. समस्त अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों
2. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करें तथा समस्त अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचित करें।
3. कुलपति एवं कुलसचिव के निजी सचिव
4. संबंधित पंजिका

सहायक कुलसचिव (प्रशासन–।)